संख्या-98/2018/1406/71-2-2018-केजीएमयू-75/2017

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 जून 2018

विषयः- उ0प्र0 में अस्थि रोग से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग की स्थापना किये जाने हेतु मानव श्रम शक्ति के पदों के सृजन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-288/योजना/2017 दिनांक 06-4-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 में अस्थि रोग से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग की स्थापना किये जाने हेतु शैक्षणिक संवर्ग के 05 पद तथा सीनियर रेजीडेण्ट के 03 पद अर्थात कुल 08 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28 फरवरी 2019 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय निम्नांकित विवरण के अनुसार सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

S.No	Name of Post	No of Post	Pay Band and Grade Pay after implemention of 6th CPC	New pay levels after implemention of 7th CPC
1	Assistant Professor	02	PB-3 Rs. 15600-39100 with minimum pay of Rs. 30,000: Academic Grade Pay Rs. 8000 After completion 3 years, will move to the Academic Grade Pay of Rs. 8700	Level 12 (Annexure-1 of MOHRD's order dated 27-10-2017)
2	Associate Professor	01	PB-4 Rs. 37400-67000 with minimum pay of Rs. 42,800: Academic Grade Pay Rs. 9000	Level 13 A-1 (Annexure-1 of MOHRD's order dated 27-10-2017)
3	Additional Professor (Prof. Junior Grade)	01	PB-4 Rs. 37400-67000 with minimum pay of Rs.46,000: Academic Grade Pay Rs. 9500	Level 13 A-2 (Annexure-1 of MOHRD's order dated 27-10-2017)
4	Professor	01	PB-4 Rs. 37,400-67,000 with minimum pay of Rs 51,600 Acadmic Grade pay Rs 10,500 Upto 40% of posts of Professor are in HAG Rs. 67,000-79,000	Level 14 A (Annexure-1 of MOHRD's order dated 27-10-2017)
5	Senior Residents	03	PB-3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 6600	Level 11
	Total	08		

2- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव का होगा। पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1490/दस-2018, दिनांक 12 जून, 2018 द्वारा में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-98/2018/1406(1)/71-2-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी लखनऊ।
5. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0।
6. वित्त अधिकारी के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0-1
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0
9. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 छठा तल योजना भवन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।